कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक 920 /भू-अ/स्थां/13 शिवपुरी दिनांक- 7/9/13

प्रति,

अधिशासी अभियंता,
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
जल संशाधन विभाग,
ए-3, सहयेाग परिस[redacted]र, ई-8 शाहपुरा,
मेन रोड, भोपाल पिना[redacted] 462039

विषय-लोअर ओर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के एवज् में प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ-आपका कार्यालयीन पत्र क्र. राजविअ/अप्र/भो/टी-45/672-73 दिनांक 14.06.13

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा लोअर परियोजना के अधिकतम जलस्तर (380मी.) पर डूब क्षेत्र 2723.70 हैक्टेयर है जिसमें 968.243 हैक्टेयर वन भूमि जो कि वन प्रभाग शिवपुरी एवं अशोकनगर के अंतर्गत आ रही है, चाही गई है।

उक्त के सदर्भ में लेख है कि जिला शिवपुरी में पूर्व से मडिखेडा, महुअर एवं अन्य परियोजनाऐं प्रचलित हैं, जिनमें भूमि वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराया जाना है। जिसके कारण ज़िले में लगभग 250 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है जो कि पठार पृकृति की है।

अतः उक्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि।

कलेक्टर 7.9.13
जिला शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक 920 /भू-अ/स्था/13 शिवपुरी दिनांक-7/9/13

प्रतिलिपि-

1. सचिव, म.प्र. शासन, जल संशाधन विभाग, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र क्र. 268 दिनांक 21.6.13 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर 7-9.13
जिला शिवपुरी म.प्र.

C:\SLR Data\slr\ORI\latter.doc

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला शिवपुरी म.प्र.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला शिवपुरी में पूर्व से मडिखेडा, महुअर एवं अन्य सिंचाई परियोजनाऐं प्रचलित हैं, जिनमें जिले में उपलब्ध वानिकी हेतु उपयुक्त भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। उक्त परियोजनाओं में दी जाने वाली भूमि के अलावा जिले में लगभग 250 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है जो पठार पृकृति की है। पूर्व में जिले में उपलब्ध 1081.09 हैक्टेयर गैर वन पड़त भूमि को वन विभाग द्वारा वानिकी हेतु उपयुक्त न पाये जाने से अस्वीकृत की जा चुकी है।

अतः जिले में उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

7/9/13

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला अशोकनगर (म0प्र0)

क्रमांक/ 718 /भू–अभि0/2013 अशोकनगर, दिनांक 07/09/13

प्रति,

अधिशासी अभियंता,
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अन्वेषण प्रभार,
ए–3 सहयोग परिसर ई–6 शाहपुरा मुख्यमार्ग भोपाल

विषय :– लोअर ओर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के एवज में प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ :– राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अधिवासी अभियन्ता अन्वेषण प्रभाग का पत्र कमांक 672–73 दिनांक 14.06.13 एवं पत्र कमांक 931–33 दिनांक 17.08. 2013 ।

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। लोअर ओर परियोजना के अधिकतम जलस्तर (380 मीटर) पर डूब क्षेत्र में आ रही 2723.700 हैक्टर भूमि में से 968.240 हैक्टर वन भूमि डूब में आ रही है। जिसमें 484.890 हैक्टर वन भूमि अशोकनगर की एवं 483.350 हैक्टर वन भूमि शिवपुरी जिले की है।

अशोकनगर जिले में वन क्षेत्र की 484.890 हैक्टर वन भूमि डूब में आने के कारण निर्धारित प्रावधान अनुसार दुगनी बैकल्पिक प्रतिपूरक शासकीय भूमि की जिले में तलाश करवाई गई एक साथ इतने बृहद क्षेत्रफल की शासकीय भूमि जिले में उपलब्ध नहीं है इसलिये उपरोक्तानुसार डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में वैकल्पिक शासकीय भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थता है।

अतः किसी अन्य जिले में उपरोक्त वर्णित वैकल्पिक शासकीय भूमि यदि उपलब्ध हो तो तदानुकम में आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सम्भवतः होशंगावाद जिले में उपरोक्त वर्णित अनुसार वैकल्पिक प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध हो सकती है।

(संतोष मिश्र)
कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक/ /भू–अभि0/2013 अशोकनगर, दिनांक 07/09/13

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संशाधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)